



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 अक्टूबर, 2001

आश्विन 14, 1923 शक सम्बत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2465 / सत्रह-वि-1-1(क)-42-2001

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन 2001 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं

गो-अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन 2001)

{जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ}

उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान से सम्बन्धित शिक्षा के संवर्धन और विकास के लिए पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

परिभाषाएं

2- इस अधिनियम में:-

- (क) "विद्या परिषद" और "कार्यपरिषद" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की विद्या परिषद और कार्यपरिषद से है;
- (ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो;
- (ग) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से हैं;
- (घ) "घटक महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा पोषित हो या इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा इस प्रकार नामांकित हो;
- (ङ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
- (च) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्ध तंत्र" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है जिस पर उस महाविद्यालय के प्रबन्ध का भार हो और जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता दी गयी हो:
- परन्तु किसी नगरपालिका द्वारा पोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्ध तंत्र" पद का तात्पर्य ऐसी नगरपालिका की शिक्षा समिति से है और पद 'प्रबन्ध तंत्र का अध्यक्ष' का तात्पर्य ऐसी समिति के अध्यक्ष से है;
- (छ) "नगरपालिका" का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी नगरपालिका से है;
- (ज) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;
- (झ) "परिनियमों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के परिनियमों, से है;
- (ञ) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय में शिक्षण के लिए अथवा अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए नियोजित हो और इसके अन्तर्गत उसका प्राचार्य या निदेशक भी है;
- (ट) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान से है;

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन

3-(1) ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, जिसे आगे नियत दिनांक कहा गया है, मथुरा में उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

नये महाविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय द्वारा संस्था को मान्यता

4-(1) नियत दिनांक को और से, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के सिवाय, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान में शिक्षण के लिए कोई महाविद्यालय या संस्था स्थापित नहीं की जायेगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व धारा 26 के उपबन्धों के अधधीन रहते हुये किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त या पोषित कोई महाविद्यालय या संस्था विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायगी।

शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग

5- इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगी।

6- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-

विश्वविद्यालय की
शक्तियाँ और कर्तव्य

(क) पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, शिक्षा प्रदान करना, उसका उन्नयन और अभिवर्धन करना;

(ख) उक्त विज्ञानों में अनुसंधान संचालित करना और,

(ग) ऐसे विज्ञानों का राज्य सरकार के सहयोग से विकास करने और उनका ग्रामीण जनता में विस्तार करने का जिम्मा लेना;

(घ) यथास्थिति किसी विद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करना या पहले से ही सम्बद्धता प्राप्त किसी विद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और ऐसे विद्यालयों का मार्गदर्शन करना और उनके कार्य का नियंत्रण करना;

(ङ.) उपाधियों या अन्य शैक्षिक विशिष्टियों को संस्थित करना और प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना जिन्होंने,-

(एक) विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(दो) विश्वविद्यालय में या किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में, परिनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो;

(छ) यथा विहित रीति और शर्तों के अधीन मानद उपाधियाँ या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(ज) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, छात्र सहायता वृत्तियाँ और परितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(झ) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना और प्राप्त करना जो परिनियमों द्वारा नियत किये जायं;

(ञ) निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करना:-

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर या तत्सम्मान अन्य संगठनों का पोषण;

(दो) शारीरिक और शैत्य प्रशिक्षण; और

(तीन) खेलों और खेलकूद क्लबों;

(ट) राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ठ) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से उपहार, अनुदान, दान, या सन्दान प्राप्त करना और यथास्थिति वसीयतकर्ता, दानकर्ता, या अन्तरक से चल या अचल सम्पत्ति की वसीयत, दान या अन्तरण प्राप्त करना और उसे धारण करना और उसका प्रबन्ध करना;

(ड) विद्यालयों या संस्थाओं की सम्बद्धता की शर्तें अधिकथित करना और समय-समय पर निरीक्षण द्वारा यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही हैं;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालयों या प्राधिकारियों से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें

विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार्य या सहायोग करना;

(ण) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना चाहे ये उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो।

7-(1) विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा भले ही वे किसी वर्ग या मत के हो।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात से विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह,-

विश्वविद्यालय सभी
वर्गों और पक्षों के
लिए होगा

(क) किसी पाठ्यक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश दे जो विहित शैक्षिक अर्हता या मानक न रखता हो;

(ख) विश्वविद्यालय की पंजी में किसी ऐसे छात्र को रखे जिसका शैक्षिक अभिलेख उपाधि, डिप्लोमा या अन्य शैक्षिक विशिष्टतया प्रदान करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानक से नीचे हो;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश दे या किसी छात्र को प्रतिधारित करे जिसका आचरण विश्वविद्यालय के या विश्वविद्यालय के छात्रों या कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के हित के प्रतिकूल प्रभाव डालता हो;

(घ) परिनियमावली में अवधारित संख्या से अधिक संख्या में छात्रों को किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रदान करें।

अध्याय-3

निरीक्षण तथा जाँच

8-(1) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय द्वारा संचालित या कराई गयी परीक्षा, अध्यापन-कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देंगे, और ऐसे निरीक्षण या जांच में परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा:

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसाई के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्यपरिषद को संसूचित करेगा।

(5) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे उसे परिषद द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियाँ भी भेजेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कुलाधिपति की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी किसी जांच की कोई रिपोर्ट भी है, विचार करने के पश्चात् यह राय हो कि कार्यपरिषद अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो व लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगा कि उक्त कार्यपरिषद को अतिष्ठित करते हुए कुलाधिपति तथा दस से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करें जिसके अन्तर्गत अतिष्ठित कार्य परिषद का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए और उपधारा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिसे कुलाधिपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें, इस अधिनियम के अधीन कार्यपरिषद की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेगी।

(9) उपधारा (8) के अधीन आदेश दिये जाने पर, उससे अतिष्ठित कार्य परिषद के सभी सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी है, पदावधि समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

अध्याय—चार

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:—

- (क) कुलाधिपति
- (ख) कुलपति
- (ग) प्रतिकुलपति
- (घ) कुलसचिव
- (ङ) वित्त अधिकारी
- (च) परीक्षा नियंत्रक
- (छ) संकायों के अध्यक्ष

(ज) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10—(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और वह जब उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

कुलाधिपति

(3) सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदान की जायं।

11—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

कुलपति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) पशुपालन विभाग में राज्य सरकार का यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव, जो समिति का संयोजक भी होगा;

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति।

(3) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं:

परन्तु किसी कुलपति की सेवा के निबन्धन और शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(5) जहाँ कुलपति अनुपस्थिति, अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहाँ प्रतिकुलपति तब तक कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि कुलपति अपना पदभार पुनः ग्रहण न कर लें।

(6) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकता है।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी जांच के अनुध्यात रहते हुये कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रतर आदेश न दिया जाय:—

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

12—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, और:—

कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य

(क) विश्वविद्यालय के सम्बद्ध और घटक महाविद्यालयों के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चियों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ङ.) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जायं और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।

(2) कुलपति कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्यपरिषद् विद्यापरिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) जहां कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें परिनियमों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकती है या उसे उलट सकती है।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो, और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाय।

13—(1) कुलपति, कार्यपरिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रतिकूलपति नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रतिकूलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) प्रतिकुलपति ऐसा मानदेय पाने का हकदार होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट करे और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति उसे सौंपें या प्रत्यायोजित करें।

कुलसचिव

14—(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी विहित की जाय।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और समान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद् का पदेन सचिव होगा और वह कार्यपरिषद् के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो, वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विहित किये जाय या कार्यपरिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुलसचिव को परिनियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायगा और न वह स्वीकार करेगा।

परीक्षा नियंत्रक

15—(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विनियम द्वारा विहित किये जायं या कार्यपरिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(4) कुलपति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक, अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुलसचिव की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तर दायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

16—(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी कार्यपरिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वित्त अधिकारी को कार्यपरिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का हकदार न होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:—

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिधान से भिन्न कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या परिनियमों के किन्हीं निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(5) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।

(6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायं।

(17)—इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी और कुलसचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों के नियुक्ति के ढंग, सेवा के निबन्धन और शर्तें और शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य, सेवा की निबन्धन और शर्तें

अध्याय—पांच विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(18)—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

- (क) कार्य परिषद्;
- (ख) विद्या परिषद्
- (ग) वित्त समिति;
- (घ) परीक्षा समिति; और

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(ड.) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें।

(19)–(1) कार्यपरिषद् में निम्नलिखित होंगे:—

- (क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;
- (ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;
- (ग) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव;
- (घ) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में राज्य सरकार सचिव;
- (ड.) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव;
- (च) निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश;
- (छ) पशुधन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एक ख्याति प्राप्त उद्योगपति राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट;
- (ज) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विख्यात पशुचिकित्सक;
- (झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पशुधन कृषकों या पशुधन अभिजनक में से दो व्यक्ति जिन्हें वैज्ञानिक कृषि और पशुधन सुधार करने का अनुभव हो;
- (ञ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक समाज सेवक जिसके पास ग्रामीण अभिवर्धन की पृष्ठभूमि हो;

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(4) कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट होने या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में, या उसके निमित्त किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक, या विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने के लिए या उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिये कोई संविदा स्वीकार करता है।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा में “नातेदार” का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री भी है।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य

20–(1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालन निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण रखना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;
- (ग) कुलपति की उपलब्धियों और सेवा के निबन्धनों और शर्तों की संस्तुति करना;
- (घ) शैक्षिक कार्यक्रमों को अनुमोदित करना;
- (ड.) परिनियमों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना;
- (च) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;
- (छ) विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन करना;

(ज) विश्वविद्यालय की किसी जंगम, स्थावर या बौद्धिक सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना;

(झ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार और उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश देना;

(ञ) ऐसी समितियां नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए अपेक्षित हों;

(ट) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की परिलब्धियां और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें अवधारित करना;

(ठ) विश्वविद्यालय के बैंक लेखों का संचालन प्राधिकृत करना;

(ड) इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना।

(2) कार्य परिषद् की प्रत्येक बैठक ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर होगी जो कुलपति द्वारा नियत की जाय।

(3) कार्य परिषद् के सदस्य ऐसा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा विहित किया जाय।

(4) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य परिषद्, बन्धक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(5) कार्य परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियम सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) कार्य परिषद्, परिनियमों में निर्धारित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी ऐसी कोई शक्ति जिसे वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकती है।

21—(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसकी ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसे उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त किये जायं या उस पर अधिरोपित किये जायं और वह विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, कार्य परिषद् को सलाह दे सकती है।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् —

| | |
|--|---------|
| (क) कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) प्रतिकुलपति; | सदस्य |
| (ग) सम्बद्ध या घटक विद्यालयों के ऐसे पांच प्राचार्य जो कार्य परिषद् के सदस्य न हों; | सदस्य |
| (घ) विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष; | सदस्य |

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

22—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

| | |
|---|---------|
| (क) कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव | सदस्य |

विद्या परिषद्

वित्त समिति

| | |
|--|------------|
| (ग) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में राज्य सरकार का सचिव | सदस्य |
| (घ) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य | सदस्य |
| (ङ.) वित्त अधिकारी | सदस्य/सचिव |

(2) वित्त समिति कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है, और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आवद्धकर होगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हो या उस पर अधिरोपित किये जायं।

(4) जब तक कि वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद् उस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

परीक्षा समिति

23—(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जो परिनियमों में यथाउपबन्धित रूप में गठित की जायगी।

(2) समिति सामान्यतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन और सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्—

(क) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् को सिफारिश करना।

(घ) परीक्षकों की सूची को अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उपसमितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने और उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है।

(4) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी किसी परीक्षा समिति या यथा स्थिति, किसी उपसमिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, किसी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विवर्जित करना विधिपूर्वक होगा यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग करने का दोषी हो।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करने के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे।

24— विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किये जायं। **अन्य प्राधिकारी**

अध्याय—छह

महाविद्यालयों की सम्बद्धता

25—(1) कार्य परिषद्, कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायं, पूरा करने वाले महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

महाविद्यालयों की सम्बद्धता

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।

(3) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध और नियन्त्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिबृन्द पर अधीक्षण तथा नियन्त्रण के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट विवरणियां तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा जिन्हें कार्य परिषद् या कुलपति मांगे।

(5) कार्य परिषद्, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पांच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद् को भेजी जायेगी।

(6) कार्य परिषद्, इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(7) कार्य परिषद् द्वारा, किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (6) के अधीन कार्य परिषद् के किसी निर्देश का अनुपालन करने में या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

(8) उपधारा (1) और (7) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, का प्रबन्धतन्त्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा हो तो कुलाधिपति, प्रबन्धतन्त्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेगा या उसमें कमी कर सकेगा।

26—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ को और से, उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का घटक महाविद्यालय नहीं रह जायगा और वह विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होगा।

घटक महाविद्यालय

(2) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य घटक महाविद्यालय स्थापित कर सकता है जैसा वह आवश्यक और समीचीन समझे।

प्रबन्धतन्त्र की
सदस्यता के
लिए अनर्हताएं

27—(1) कोई भी व्यक्ति (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित विद्यालय से भिन्न किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये निरहर्त होगा, यदि वह या उसका नातेदार ऐसे महाविद्यालय में या उसके निमित्त किसी काम के लिये कोई परिश्रमिक या ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रादाय करने के लिये या उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिये कोई संविदा स्वीकार करता है।

स्पष्टीकरण— पद “नातेदार” का वही अर्थ होगा जो उसके लिये धारा 19 की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

निरीक्षण और
जांच

28—(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा वह निदेश दे, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन या वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने के विनिश्चय करे तो वह उसकी सूचना सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को देगी और प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतन्त्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतन्त्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा। किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी न तो उपस्थित होगा न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के लिए प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और की जाने वाली कार्यवाही के संबन्ध में निदेश दे सकेगी और प्रबन्धतंत्र ऐसे निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

(5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबन्धतंत्र को दी गयी संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी और कुलपति कार्यपरिषद् को राज्य सरकार के दृष्टिकोण और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह को संसूचित करेगा।

(6) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे उसे कार्यपरिषद् द्वारा की गयी या की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देश से वाध्य होंगे।

(8) राज्य सरकार किसी भी समय किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र या प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जांच के सम्बन्ध में कोई जानकारी मांग सकेगी।

29— विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के संगठन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्था स्थापित कर सकेगा।

संस्थान

30— किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से या उसकी ओर से परिनियमावली में निर्धारित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

31— जहां किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा जिसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तुरूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह महाविद्यालय को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाते में जमा किया जायेगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।

महाविद्यालय को अंशदान और दान

अध्याय—सात

अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

32—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापक और सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न कार्य परिषद् या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो।

अध्यापकों की नियुक्ति

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक, निदेशक तथा प्राचार्य की नियुक्ति जो उपधारा (3) के अधीन की गयी नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परीक्षा पर होगी जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु परीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायगा जब तक कि,—

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो, की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद् आदेश न दे दे;

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में प्रबन्धतंत्र आदेश न दे दे; और

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालय किसी अन्य अध्यापक की दशा में प्राचार्य उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक, जब तक कि ऐसा अध्यापक उस विषय का ज्येष्ठतम अध्यापक न हो, की रिपोर्ट पर भी विचार करने के पश्चात् प्रबन्धतंत्र आदेश न दे दे :

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा समाप्ति का ऐसे कोई आदेश नहीं दिया जायेगा:

परन्तु यह भी कि यदि, यथास्थिति, परीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाय तो परीक्षा अवधि तब तक के लिए बढ़ जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कार्यपरिषद् का अन्तिम

आदेश या यथास्थिति, जब तक कि धारा 37 के अधीन कुलपति के अनुमोदन की संसूचना सम्बद्ध अध्यापक को न दे दी जाय।

(3) (क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति और सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में कुलपति द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ के परामर्श से प्रबन्धतन्त्र किसी अध्यापक की छुट्टी मन्जूर किये जाने के कारण हुई रिक्त पर चयन समिति को निर्देश किये बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिए स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी किन्तु अन्य रिक्ति या पद जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिए होना सम्भाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी।

(ख) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक, चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात् ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके छः मास से अधिक चलते रहना सम्भाव्य हो, और तत्पश्चात् ऐसे स्थायी पद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, या किसी स्थायी पद पर ऐसे रिक्ति में नियुक्त किया जाता है, जो पदधारी हो दस मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप में रिक्त हो जाता है या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी को कोई अन्य पद रिक्त या नवसृजित किया जाता है वहां, यथास्थिति, कार्यपरिषद् या प्रबन्धतन्त्र, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश किए बिना नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अध्यापक, ऐसे अधिष्ठायी नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश किए जाने के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया जो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और उपधारा (2) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

(4) (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक, किसी संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य से भिन्न की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष:

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो या जब सम्बद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पक्ति में ऊंचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग के आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहां वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निर्देश दे सकेगा जैसी वे उचित समझे।

(तीन) किसी आचार्य या उपाचार्य, की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(चार) किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, यथास्थिति, संस्थान का निदेशक या घटक महाविद्यालय का प्राचार्य।

(ख) संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(ग) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न, के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) प्रबन्धतन्त्र का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य जो अध्यक्ष होगा;

(दो) उन संकायों के जिनसे सम्बद्ध विषय महाविद्यालय में पढ़ाये जाते हों, संकायाध्यक्षों या आचार्यों में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक संकायाध्यक्ष या आचार्य;

(तीन) प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो प्रबन्ध समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; और

(चार) दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के आचार्य की नियुक्ति की दशा में संकायों का संकायाध्यक्ष, यदि वह स्वयं उस महाविद्यालय का अध्यापक हो, चयन समिति में नहीं बैठेगा :

परन्तु यह और कि संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतन्त्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पांच विशेषज्ञों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिए प्रबन्धतन्त्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो :

परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट महाविद्यालयों की दशा में, संकायाध्यक्ष या आचार्य भी, जो उपखण्ड (2) के अधीन चयन समिति के सदस्य होंगे, उन पांच संकायाध्यक्षों या आचार्यों के पैनल में से, जिनके लिए प्रबन्धतन्त्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो, भी प्रबन्धतन्त्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, और यदि ऐसे संकायाध्यक्ष या आचार्य अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों का नाम पैनल में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) महाविद्यालय का प्राचार्य और प्राचार्य द्वारा नामनिर्दिष्ट महाविद्यालय का एक और अध्यापक;

(तीन) दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में जिसमें उपखण्ड (2) के अधीन चयन समिति का सदस्य होने के लिए कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक उपलब्ध न हो, चयन समिति इस खण्ड में निर्दिष्ट शेष सदस्यों से गठित होगी :

परन्तु यह और कि संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में प्रबन्धतन्त्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पांच विशेषज्ञों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिए प्रबन्धतन्त्र में सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानीय संकाय या उत्तर प्रदेश में या उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनायेगा।

उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला, प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

(ख) प्रत्येक संकाय का बोर्ड प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए सोलह या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक स्थायी पैनल बनायेगा, और उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई पैनल तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – 1- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि या उसके भाग-1 या 2 के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण –2- जहां चयन किये जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(घ) यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति, चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से, जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

(7) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी:

परन्तु आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक सिफारिश करे।

(9) (क) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्य परिषद् उस मामले को ऐसी असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् चयन समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय नहीं करती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ख) जहां खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चय करने की विफलता कार्य परिषद् के किसी दोष के कारण न हो तो कुलाधिपति कार्य परिषद् से ऐसे समय के भीतर जैसा कुलाधिपति समय-समय पर अनुमति दें,

विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकता है और कुलपति को इस प्रयोजन से कार्य परिषद् की बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है;

परन्तु—

(एक) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से सहमत नहीं है तो कार्य परिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(दो) यदि कार्य परिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमत समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ग) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि प्रबन्धतंत्र चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो प्रबन्धतंत्र उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्ध तंत्र चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो प्रबन्धतंत्र को एक अन्य समिति नियुक्त करने का अधिकार होगा और उस समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समितियों के विचार विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति से संबन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जायगा, जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

(12) (क) सम्बद्ध महाविद्यालय, जो राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो, का प्रबन्धतंत्र चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी अध्यापक को तब तक नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि कुलपति का पूर्वानुमोदन न ले लिया जाय।

(ख) प्रबन्धतंत्र, चयन समिति के अधिवेशन के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए कुलपति को प्रस्तुत करेगा।

(ग) कुलपति, यदि उनका समाधान हो जाय कि चयन समिति द्वारा सिफारिश किया गया अभ्यर्थी विहित न्यूनतम अर्हता तथा अनुभव नहीं रखता है या अध्यापक के चयन के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, प्रबन्धतंत्र को अपनी अस्वीकृति की सूचना देगा :

परन्तु यह कि यदि कुलपति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर अपनी अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है, या प्रबन्धतंत्र को उसके संबंध में कोई भी सूचना नहीं भेजता है तो यह समझा जायगा कि उसने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(13) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी कार्य परिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, या प्रबन्धतंत्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर, किसी ऐसे सरकारी सेवक को नियुक्त कर सकता है जो पद के लिए विहित अर्हताएं रखता हो।

विश्वविद्यालय के
अध्यापकों की
वैयक्तिक
पदोन्नति

33—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में धारा 32 के अधीन नियुक्त किसी प्राध्यापक या विश्वविद्यालय में धारा 32 के अधीन नियुक्त या इस धारा के अधीन प्रोन्नत किसी उपाचार्य की जिसकी उत्तनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जैसी विहित की जायं कमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

(2) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 32 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जायं, दी जायंगी।

(3) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा 32 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा।

विश्वविद्यालय के
अध्यापकों की
नियुक्ति संविदा

34—(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय—विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार होगी, नियुक्त नहीं किया जायगा।

(2) मूल संविदा कुल-सचिव के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में इस प्रकार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाएं उस विस्तार तक जहां तक वे इस अधिनियम या परिनियमों के उपबन्धों से असंगत हों, उक्त उपबन्धों द्वारा उपान्तरित समझी जायेंगी।

पेंशन, भविष्य
निधि आदि

35 — विश्वविद्यालय और प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जांच, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा, जैसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत एक ऐसी निधि भी है जिसे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में निर्योग्य, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जायगा।

अध्यापकों के
पारिश्रमिकीय
अतिरिक्त काम की
अनुज्ञेय सीमा

36—(1) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय संबंधी शर्तें वही होगी जो विहित की जायं।

(2) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, अध्यापक सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा संबंधी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण— “पारिश्रमिकीय पद” शब्दों के अन्तर्गत छात्र निवास या छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीडाधीक्षक, पुस्तकाध्यक्ष और नेशनल कैटेड कोर, राष्ट्रीय खेलकूद संगठन, राष्ट्रीय समाज सेवा स्कीम तथा विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई पद भी है।

सरकार या स्थानीय
प्राधिकारी द्वारा
पोषित
महाविद्यालयों तथा
से भिन्न सम्बद्ध
महाविद्यालयों के
अध्यापकों की सेवा
की शर्तें

37—(1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का, जो राज्य सरकार द्वारा अनन्यतः पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो, प्रत्येक अध्यापक लिखित संविदा के अन्तर्गत नियुक्त किया जायगा जिसमें ऐसे निबन्धन शर्तें होंगी, जो विहित की जायं। संविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपिसंबंधित अध्यापक को दे दी जायगी और उसकी दूसरी प्रतिलिपि संबंधित महाविद्यालय द्वारा रखी जायगी।

(2) ऐसे महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र का किसी अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किया गया, प्रत्येक विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के पूर्व कुलपति को रिपोर्ट किया जायगा और वह तब तक प्रभावी न होगा जब तक कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबंधतंत्र को किसी अध्यापक को पदच्युत करने, पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किये गये विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा किन्तु उसे विनिश्चय की सूचना दी जायगी और जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है। तब तक विनिश्चय लागू नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (2) के उपबन्ध किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के, किसी विनिश्चय पर भी, चाहे वह दण्ड के रूप में हो या अन्यथा हो, लागू होंगे, किन्तु वह उस कालावधि के व्यतीत हो जाने पर, जिसके लिए अध्यापक नियुक्त किया गया हो, सेवा समाप्ति के संबंध में लागू न होंगे :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में प्रबंधतंत्र के किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित न होगा, उसे विनिश्चय की सूचना दी जायेगी और जब तक उसका समाधान न हो जाय कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है तब तक विनिश्चय प्रभावी नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (2) की कोई बात जांच के दौरान निलम्बन के आदेश पर, लागू नहीं समझी जायगी, किन्तु कुलपति द्वारा ऐसा कोई आदेश स्थगित, प्रतिसंहत या उपान्तरित किया जा सकेगा:

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों के दशा में ऐसा आदेश कुलपति द्वारा तभी स्थगित प्रतिसंहत या उपान्तरित किया जा सकेगा जब ऐसे निलम्बन के लिए विहित शर्तें पूरी न की गयी हों।

(5) ऐसे महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो विहित की जायं।

अध्याय—आठ

परिनियम

38—(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे। परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

(2) कार्य परिषद् समय—समय पर नये और अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी और उस पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायगा।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) में या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।

परिनियम

39—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे:—

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि गठन या बीमा स्कीम की स्थापना;

(ग) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(घ) उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ.) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके।

(च) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं और उनके लिए अर्हताएं और उसे प्रदान करने या प्राप्त करने के संबंध में ली जाने वाली धनराशि;

(छ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए और परीक्षा में प्रवेश, उपाधियों और विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए जी जाने वाली फीस;

(ज) अधिष्ठात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(झ) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षण निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पद की शर्तें और उनके नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है;

(ञ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति को छोड़कर) और कर्मचारियों को हटाने की शक्ति और उनकी परिलब्धियां और सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(ट) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

अध्याय—नौ

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

40—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दशा में किये गये उपाय होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायगा जो विहित किया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी।

41—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र कार्यपरिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे। प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेंगी।

लेखा और
लेखा परीक्षा

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष तीस सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेंगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये सम्प्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाये जायेंगे। ऐसे सम्प्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

42—(1) जब कभी राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के कियी धन या सम्पत्ति की हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझे तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का निदेश दे सकेगी।

अधिभार

(2) विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को, जिसकी अपेक्षा या कदाचार के कारण ऊपर निर्दिष्ट हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन हुआ है, एक नोटिस जारी करके उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करे।

(3) राज्य सरकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट और ऊपर निर्दिष्ट अधिकारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् इस निमित्त उपयुक्त विनिश्चय कर सकेगी।

(4) यदि राज्य सरकार की राय हो कि अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाय तो अधिभार, भू-राजस्व के बकाये के रूप में, या ऐसी अन्य रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाय, वसूल किया जायगा।

अध्याय—दस

प्रकीर्ण

43—(1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथाउपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में से सदस्य यथासम्भव निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे।

प्राधिकारियों के
अधिकारियों और
सदस्यों को नियुक्त
करने की रीति

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियम में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता या अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई उपबन्ध किया गया हो, वहाँ चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता और अन्य अर्हताएं अवधारित करने की रीति वही होगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।

44—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

आकस्मिक
रिक्तियों की पूर्ति

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहरी हो, तब तक ऐसा प्राधिकारी अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

45— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य न होगी कि,—

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

46— कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है जो सभी की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो या इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूरी की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस लें सकेगी।

कुलाधिपति को निर्देश

47— यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत परिनियम की विधिमान्य से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश :—

(क) उस दिनांक के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्, या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में—

(क) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा या निर्देश ग्रहण कर सकेगा ;

(ख) जहां निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

वाद का वर्जन

48—राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा, न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

49—(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा संम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टतया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हों, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1)के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, प्रस्तुत करने की या उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

50—(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

51—(1) उत्तर प्रदेश कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 और तद्धीन बनाये गये परिनियमों या विनियमों और दिये गये आदेशों में किसी बात के होते हुए भी नियत दिनांक को और से,—

आस्तियां आदि का अन्तरण

(क) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की ऐसी समस्त सम्पत्तियाँ और आस्तियाँ, जो पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान विभाग से सम्बन्धित हैं, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा भी है जिसे आगे पूर्व विश्वविद्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, विश्वविद्यालय में अन्तरित और निहित हो जायेंगी।

(ख) पूर्व विश्वविद्यालय के समस्त ऋण, दायित्व और बाध्यताएँ, चाहे वे संविदात्मक हों या अन्यथा, विश्वविद्यालय में अन्तरित हो जायेंगी।

(ग) पूर्व विश्वविद्यालय के प्रत्येक पूर्णकालिक अध्यापकों, कर्मचारियों, और अधिकारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय में, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर जैसे वे ऐसे अन्तरण के ठीक पूर्व विद्यमान रही हों, अन्तरित हो जायेंगी।

- विधिक कार्यवाही** 52—पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित समस्त वाद, मामले, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय लम्बित हों, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी, अभियोजित या प्रवृत्त रखी जा सकेगी।
- संविदा आदि का अर्थान्वयन** 53—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रति किसी निर्देश का अर्थ,—
- (क) विश्वविद्यालय के निर्देश के रूप में लगाया जायगा, यदि ऐसे निर्देश का सम्बन्ध चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की किसी ऐसी आस्ति या सम्पत्ति से हो जो पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभाग से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा भी है;
- (ख) किसी अन्य मामले में, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के निर्देश के रूप में लगाया जायगा।
- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा उन्मोचित की जाने वाली बाध्यताएं** 54—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए कोई उपाधि या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं या कोई डिप्लोमा या अन्य प्रमाण-पत्र निर्गत करने या किसी व्यक्ति को कोई उपाधि, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र, अंकतालिका या अन्य दस्तावेज की कोई प्रति प्रदान करने के लिए उपगत कोई दायित्व ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का दायित्व होगा।
- विवादों का निपटारा** 55—यदि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान से सम्बन्धित, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा भी है, सम्पत्ति के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से विश्वविद्यालय में अन्तरण के कारण कोई विवाद उठता है तो ऐसे विवाद का समाधान प्रथमतः उक्त दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा किया जायगा और किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में कोई समझौता कराने में ऐसे कुलपति के असफल रहने की दशा में मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- अध्यारोही प्रभाव** 56—उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी
प्रमख सचिव।

उद्देश्य और कारण

राज्य में पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान कर रही संस्थाओं की कमी के कारण यह विनिश्चय किया गया कि पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति और विकास के लिए मथुरा में पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय और उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा को उसकी समस्त आस्तियों और सम्पत्तियों के साथ, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान को अन्तरित कर दिया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 2465(2)/XVII- V-1-I (KA) -42-2001

Dated Lucknow, October 6, 2001

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001.

**THE UTTAR PRADESH PANDIT DEEN DAYAL UPADHYAYA PASHU CHIKTSA
VIGYAN VISHWAVIDYALAYA EVAM GO-ANUSANDHAN SANSTHAN
ADHINIYAM, 2001**

(U.P. Act No. 27 of 2001)

[As Passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to Provide for the establishment of a Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan in Uttar Pradesh for the advancement and development of education pertaining to Veterinary and Animal Sciences and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty- Second Year of the Republic of India as Follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya and Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan Adhiniyam, 2001. **Short title and Commencement**

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In this Adhiniyam, --

Definitions

(a) "Academic Council" and " Executive Council " means respectively the Academic Council and Executive Council of the University;

(b) "Affiliated college" means a college or institution affiliated to the University in accordance with the provisions of this Adhiniyam and the statutes.

(c) "other backward classes of citizens" means the other backward classes of citizens specified in Schedule I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994.

(d) "Constituent College" means a college or institution maintained by the University or by the State Government and named as such by this Adhiniyam or the Statutes;

(e) "Faculty" means a faculty of the University;

(f) "Management", in relation to an affiliated college, means the managing committee or other body charged with managing the affairs of the college and recognized as such by the University;

Provided that in relation to any such college maintained by Municipality, the expression "management" means the education committee of such Municipality and the expression "Head of the Management" means the Chairman of such Committee:

- (g) "Municipality" means a municipality constituted under the Uttar Pradesh Municipality Act, 1916 or The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959, as the case may be;
- (h) "prescribed" means prescribed by the statutes;
- (i) "Statutes" means Statutes of the University;
- (j) "Teacher" means a person employed for imparting instruction or guiding or conducting research in the University or an affiliated or constituent college and includes principal or director thereof;
- (k) "University" Means the Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go- Anusandhan Sansthan established under this Adhinyam.

CHAPTER-II

THE UNIVERSITY

Establishment and incorporation of the University

3. (1) With effect from such date as such the State Government may, by notification, appoint in this behalf, hereinafter referred to as the appointed date, there shall be established at Mathura a University by the name of the Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan.

(2) The University shall be a body corporate.

Establishment of new college and recognition of institution by the University

4. (1) On and from the appointed date, no new college or institution for imparting instruction in veterinary and animal sciences, shall be established except as an affiliated college.

(2) Subject to the provisions of section 26, no college or institution affiliated to or associated with or maintained by any other University immediately before the commencement of this Adhinyam shall be affiliated to the University.

Territorial exercise of powers

5. The University shall, in the exercise of its powers under this Adhinyam, have jurisdiction over the whole of Uttar Pradesh.

Powers and duties of the University

6. The University shall have the following powers and duties namely :-

(a) to provide, upgrade and advance education in such branches of Veterinary and Animal Sciences, as the University may determine;

(b) to conduct research in the said sciences;

(c) to undertake the development of such sciences and the extension thereof to rural people in co-operation with the State Government;

(d) to admit any college to the privileges of affiliation or to enlarge the privileges of any college already affiliated as the case may be or to withdraw or curtail any such privilege and to guide and control the work of such colleges;

(e) to institute and confer degrees or other academic distinctions;

(f) to hold examinations for, and to grant and confer degrees or other academic distinctions to, and on, persons, who-

(i) have pursued a course of study in the University or in an affiliated or constituent college; or

(ii) have carried on research in the University or in an affiliated or constituent college recognized in this behalf by the University, under conditions laid down in the statutes;

(g) to confer a honorary degree or other academic distinctions in such manner and under such conditions as may be prescribed;

(h) to institute and award fellowships, scholarships, studentship, exhibitions and prizes in accordance with the statutes;

- (i) to demand and receive such fees and other charges as may be fixed by the statutes;
- (j) to make provisions for –
 - (i) the maintenance of National Cadet Corps or other similar organizations;
 - (ii) physical and military training and
 - (iii) sports and athletics clubs;
- (k) to make appointments of officers and other employees of the University to the posts created by the State Government;
- (l) to receive gifts, grants, donations or benefactions from the State Government or the Central Government and to receive bequest, donations and transfers of movable or immovable property from testators, donors or transfers, as the case may be and to hold manage the same;
- (m) to lay down the conditions of affiliation of colleges or institutions and to satisfy itself by periodical inspection that such conditions are satisfied;
- (n) to co-operate and collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine from time to time;
- (o) to do all such other acts or things, whether incidental to the powers aforesaid or not as may be necessary to further the objects of the University.

7.(1) The University shall be open to all persons irrespective of class or creed.

**University open to
all classes and
creed**

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall require the University-

- (a) to admit to any course of study any person who does not possess the prescribed academic qualification or standard;
- (b) to retain on the rolls of the University any student whose academic record is below the minimum standard required for the award of degree, diploma or other academic distinctions;
- (c) to admit any person, or retain any student, whose conduct is prejudicial to the interest of the University or the rights and privileges of the students and the employee of the University;
- (d) to admit to any course of study a larger number of students that may be determined by the statutes.

CHAPTER-III

INSPECTION AND INQUIRY

8.(1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as it may direct, of the University or any affiliated or constituent college maintained by the University including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipments and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University or such college or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University or such college.

(2) Where the state Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such:

Provided that no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the University at such inspection or inquiry.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section

(1) shall have all the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of section 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and any proceeding before him or them shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Panel Code.

(4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice-Chancellor shall then within such times as the State Government may fix, submit to it report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(6) If authorities of the university do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which such authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the authorities of the University shall comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such direction.

(8) Without prejudice to the provisions of sub-section (6) if the Chancellor on consideration of any document or material referred to in sub-section (7) is of opinion that the Executive Council has failed to carry out its functions or has abused its powers, he may, after giving it an opportunity of submitting a written explanation, order that in supersession of the said Executive Council, and *ad-hoc* Executive Council, consisting of the Vice-Chancellor and such other persons not exceeding ten in number as the Chancellor may appoint in that behalf including any member of the superseded Executive Council, shall, for such period not exceeding two years as the Chancellor may from time to time specify, exercise and perform all the powers and functions of the Executive Council under this Adhinyam.

(9) Upon an order being made under sub-section (8) the term of office of all members of the Executive Council superseded thereby, including *ex-officio* members shall cease and all such members shall vacate their offices as such.

CHAPTER-IV

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

9. The following shall be officers of the University.

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) the Pro- Vice-Chancellor;
- (d) the Registrar;
- (e) the Finance Officer;
- (f) the Controller of Examinations;
- (g) the Deans of Faculties;
- (h) such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

Officers of the University

10. (1) The Governor shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the University and shall when present, preside at any convocation of the University.

(3) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to be confirmation of the Chancellor.

(4) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred on him by or under this Adhinyam.

The Chancellor

11. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst distinguished persons in the field of Veterinary and Animal Sciences whose names are submitted to him by the committee constituted in accordance with the provisions of sub-section(2). **The Vice-Chancellor**

(2) The committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members, namely:-

(a) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in the Animal Husbandry Department, who shall also be the convener of the Committee;

(b) One person who is or has been a judge of the High Court nominated by the Chief justice of the High Court;

(c) One person nominated by the Chancellor.

(3) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment.

(4) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed:

Provided that the terms and conditions of services of the Vice-Chancellor shall not be varied to his disadvantage during the term of his office.

(5) Where the Vice-Chancellor is unable to discharge his duties owing to absence, illness or any other cause the Pro-Vice-Chancellor shall discharge the duties of the Vice-Chancellor until the Vice-Chancellor resumes his duties.

(6) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits, refuses to carry out the provisions of this Adhinyam or abuses the powers vested him, or if in otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(7) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub section (6) the Chancellor may order that till further orders-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments which he was otherwise entitled;

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

12.(1) The Vice-Chancellor shall be principal executive and academic officer of the University and shall- **Powers and duties of the Vice-Chancellor**

(a) exercise general supervision and control over the affairs of the University, affiliated and constituted colleges;

(b) give effect to the decisions of the authorities of the University;

(c) in the absence of the Chancellor, preside at any convocation of the University;

(d) be responsible for the maintenance of discipline in the University;

(e) be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on due dates.

(2) The Vice-Chancellor shall be an *ex-officio* member and Chairman of the Executive Council, Academic Council and the Finance Committee.

(3) The Vice-Chancellor shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of

the provisions of this Adhinyam and Statutes and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee.

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University

(6) Where any matter is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Adhinyam to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority, or other body who or which in the ordinary course would have dealt with that matter:

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes;

Provided further that if the officer, authority or other body is of opinion that such action ought not to have been taken it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor:

Provided also that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be laid down by the Statutes.

The Pro-Vice-Chancellor

13. (1) The Vice-Chancellor may, with the approval of the Executive Council appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the professors of the University.

(2) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall be entitled to such honorarium as may be determined by the State Government from time to time.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in the absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

The Registrar

14. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University.

(2) The Registrar shall be appointed by the State Government on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

(4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be ex-officio secretary of the Executive Council and shall be bound to place before the Executive Council all such information as may be necessary for transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed or required from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University saves such as may be provided by the Statutes.

- 15.** (1) The Controller of Examinations shall be a whole-time officer of the University.
- (2) The Controller of Examinations shall be appointed by the State Government by notification and his remuneration and allowances shall be paid by the University.
- (3) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* secretary of the Examination Committee of the University and shall be bound to place before such Committee all such information as may be necessary for transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or required from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this subsection, be entitled to vote. He may require from any office of the University, the production of such return or the furnishing of such information as may be necessary for the discharge of his duties.
- (4) Subject to the superintendence of the Vice-Chancellor, the Controller of Examinations shall have administrative control over the employees working under him and have, in this regard, all the powers of the Registrar.
- (5) Subject to the superintendence of the Examinations Committee, the Controller of Examination shall conduct the examination and make all other arrangements there for and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.
- (6) The Controller of Examination shall not be offered nor shall he except any remuneration for any work in the University, except in accordance with the order of the State Government.
- (7) Where the Controller of Examination is, for any reason, unable to act or the office of the Controller of Examination is vacant, all the duties of his office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Controller of Examination resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled.

**The Controller
of Examinations**

- 16.** (1) There shall be a Finance Officer for the University who shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the State Government, and his remuneration and allowance shall be paid by the University.
- (2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the statement of the accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.
- (3) The Finance Officer shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.
- (4) The Finance Officer shall have the duty-
- (a) to ensure that no expenditure, not authorized in the budget, is incurred by the University otherwise than by way of investment;
- (b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Adhinyam or the terms of any Statutes;
- (c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;
- (d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.
- (5) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.
- (6) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.
- (7) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed.

**The Finance
Officer**

- 17.**(1) Except as otherwise provided in this Adhinyam, the mode of appointment, terms and condition of service and the powers and duties of the officers of the University other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Finance Officer and Registrar shall be such as may be prescribed.

**Powers, duties,
terms and
conditions of
service of
other officers**

CHAPTER-V

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Authorities of the University

18. The following shall be the Authorities of the University, namely :-
(a) the Executive Council;
(b) the Academic Council;
(c) the Finance Committee;
(d) the Examination Committee; and
(e) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

Constitution of the Executive Council

19. (1) The Executive Council shall consist of :-
(a) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;
(b) The Pro-Vice Chancellor, if any;
(c) Secretary to the State Government in the Higher Education Department;
(d) Secretary to the State Government in the Animal Husbandry and Fisheries Department;
(e) Secretary to the State Government in the Finance Department;
(f) Director, Animal Husbandry, Uttar Pradesh;
(g) One reputed industrialist in the field of livestock nominated by the State Government.
(h) Two eminent Veterinarians nominated by the Chancellor on the recommendation of the State Government.
(i) Two persons from amongst livestock farmers or livestock breeders having the experience of scientific farming and livestock improvement nominated by the State Government.
(j) One Social worker having the background of rural advancement nominated by the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no person shall be nominated as a member of the Executive Council unless he is a graduate.

(3) The term of office of members mentioned in clause (h), (i) and (j) of sub-section (1) shall be two years.

(4) A person shall be disqualified for being nominated as, or for being a member of the Executive Council if he, or his relative, accepts remuneration for any work in, or, for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University.

Explanation :- In this sub-section 'relative' means the relations defined in section (6) of the Companies Act, 1956 and includes the wife's (or husband's) brother, wife's (or husband's) father, wife's (or husband's) sister, brothers son and brother's daughter.

Powers and duties of the Executive Council

20. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University and shall have the following powers namely-
(a) to supervise and control the affairs of the University;
(b) to hold and control the property and funds of the University;
(c) to recommend emoluments and terms and conditions of service of the Vice-Chancellor;
(d) to approve academic programmes;
(e) to make, amend or repeal Statutes;
(f) to prepare the budget of the University,
(g) to administer any funds placed at the disposal of the University,
(h) to acquire or transfer movable, immovable or intellectual property of the University;
(i) to direct the form and use of common seal of the University;
(j) to appoint such committees as may be required for the efficient functioning of the University,

(k) to determine the emoluments and terms and conditions or service of the staff of the University;

(l) to authorize operation of bank accounts of the University;

(m) to regulate and determine all another matters concerning the University in accordance with this Adhinyam or the Statutes.

(2) Every meeting of the Executive Council shall be held on such date, time and place as may be fixed by the Vice-Chancellor.

(3) The Member of the Executive Council shall be entitled to such allowances as may be prescribed.

(4) No immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred (except by way of letting form month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise, nor shall any money be borrowed, or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the State Government, or, with the previous sanction of the State Government, from any other person.

(5) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.

(6) The Executive Council may, subject to any conditions laid down in the Statutes, delegate such of its powers as it deems fit to an officer or any, other authority of the University, or to a Committee appointed by it.

21. (1) The Academic Council shall be principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Adhinyam and the Statutes, have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standard of instruction, education and examination in the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes and may advise the Executive Council on all academic matters.

Academic Council

(2) The Academic Council shall consist of the following persons, namely :-

- | | |
|--|-----------------|
| (a) the Vice Chancellor; | <i>Chairman</i> |
| (b) the Pro-Vice-Chancellor; | <i>Member</i> |
| (c) five such Principals of affiliated constituent colleges as are not members of the Executive Council; | <i>Members</i> |
| (d) one Head of the Department of the University nominated by the Vice-Chancellor; | <i>Member</i> |

(3) The term of office of the members referred to in clause (c) of sub-section (2) shall be one year.

22. (1) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:-

- | | |
|---|-------------------------|
| (a) the Vice Chancellor; | <i>Chairman</i> |
| (b) the Secretary to the State Government in the Finance Department; | <i>Member</i> |
| (c) the Secretary to the State Government in the Animal Husbandry and Fisheries Department; | <i>Member</i> |
| (d) two members of the Executive Council nominated by the Vice-Chancellor; and | <i>Members</i> |
| (e) the Finance Officer; | <i>Member-Secretary</i> |

Finance Committee

(2) The Finance Committee shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resources of, the University fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limit of expenditure so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council.

(3) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Adhinyam or the Statutes.

(4) Unless a proposal having financial implication has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take a decision thereon, and if the Executive Council disagrees with the recommendation of the Finance Committee, it shall refer the proposal back to the Finance Committee with reasons for the disagreement and if the Executive Council again disagrees with the recommendation of the Finance Committee the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Examinations Committee

23. (1) There shall be an Examinations Committee of the University, the constitution of which shall be such as may be provided for in the Statutes.

(2) The Committee shall supervise generally all the examinations of the University, including moderation and tabulation and perform the following other functions, namely:-

(a) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them;

(b) to review from time to time the results of the University examinations and submission of reports, thereon to the Academic Council;

(c) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;

(d) to finalize the list of the examiners and declare the result of the University.

(3) The Examinations Committee may appoint such number of committees as it thinks fit, and in particular, may delegate to any one or more persons or sub-committees, the powers to deal with decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

(4) Notwithstanding anything contained in any other provisions of the Adhinyam, it shall be lawful for the Examinations Committee or, as the case may be for a sub-committee or any person to whom the Examination Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3) to debar such examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty using unfair means at any such examination.

(5) Subject to any other provisions of this Adhinyam and the Statutes, Examination Committee may issue such directions as it considers necessary for arrangements for conduct of the Examinations.

Other Authorities

24. The Constitution, powers and duties of other Authorities of the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-VI

AFFILIATION OF COLLEGES

Affiliation of Colleges

25. (1) The Executive Council may, with the previous sanction of the Chancellor, admit any college which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or withdrawn or curtail any such privilege.

(2) It shall be lawful for an affiliated college to make arrangement with any other affiliated college situated in the same local area, or with the University, for cooperation in the work of teaching or research.

(3) Except as otherwise provided in any other provisions of this Adhinyam the Management of an affiliated college shall be free to manage and control the affairs the college and be responsible for its maintenance and upkeep, and its principal shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control of its staff.

(4) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council or the Vice-Chancellor may call for.

(5) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more person authorized by it on that behalf, and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The Executive Council may direct an affiliated college so inspected to take such action as may appear to it to be necessary within such period as may be specified.

(7) The privileges of affiliation of college which fail to comply with any direction of the Executive Council under sub-section (6) or to fulfill the condition of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the College and with previous sanction of the Chancellor, be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Statutes.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (7), if the Management of an affiliated college has failed to fulfill the conditions of affiliation, the Chancellor may, after obtaining a report from the Management and the Vice-Chancellor, withdraw or curtail the privileges of affiliation.

26. (1) The Uttar Pradesh College of Veterinary Science, Mathura shall cease to be **Constituent** constituent college of the Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik **Colleges** Vishwavidyala, Kanpur and shall be on and from the commencement of this Adhiniyam the constituent college of the University.

(2) The University may establish such other constituent colleges as it may consider necessary and expedient.

27. (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of **Disqualification** the Management of an affiliated college (other than a college maintained exclusively **for membership** by the State Government or by local authority), if he or his relative accepts any **of Management** remuneration for any work in, or for, such College or any contract for the supply of goods, to, or for the execution of any work for such College.

Explanation:- The term "relative" shall have the meaning assigned to it in the explanation to sub-section (4) of section 19.

28. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made **Inspection and** by such person as it may direct, of an affiliated College, including buildings, **Inquiry** laboratories and equipments thereof and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by it, or cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration and finances of such college.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the management of the affiliated college and a representative appointed by the Management and where the Management fails to appoint a representative, the Principal of the College may be present at such inspection or inquiry and shall have the right to be heard on behalf of the Management but no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the college at such inspection or inquiry.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section(1) shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the code of the Civil procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of section 345 and 346 of the code of Criminal procedure, 1973 and any proceedings before him or them shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government may communicate to the management of the affiliated college, the result of such inspection or inquiry and may issue direction as to the action to be taken and the management shall forthwith comply with such directions.

(5) The State Government shall inform the Vice-Chancellor about the

communication made by it to the Management under sub-section (4) and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(6) The Vice-Chancellor shall then within such times as State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(7) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering an explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the University authorities shall be bound to comply with such direction.

(8) The State Government may, at any time, call for any information from the Management or Principal of an affiliated college in connection with such inspection or inquiry.

Institutes

29. The University may, with the prior approval of State Government, establish one or more institutes to organize and conduct teaching and research in any subject.

Bar of charging and donation etc, for admission to a college

30. No person connected with the Management of an affiliated college and no principal or other teacher or employee thereof shall directly or indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution, donation, fees or any other payment of any sort, either in cash or in kind, except the fees at the rates laid down by or under the Statutes from or on behalf of any pupil as a condition for granting him admission to or permitting him after such admission to continue in such college.

Contribution and donation to college

31. Where a contribution or donation, either in cash or in kind, is taken or received by any affiliated college not maintained exclusively by the State Government or a local authority, the contribution or donation so received shall be utilized only for the purpose for which it was given to it and in the case of a college maintained exclusively by the State Government any cash contribution or donation shall be credited to the personal ledger account of such institution which shall be operated in accordance with the general or special orders of the State Government.

CHAPTER-VII

**APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE
OF TEACHERS AND OFFICERS**

Appointment of Teachers

32. (1) Subject to the provisions of this Adhinyam, the teachers of the University and the teachers of an affiliated college, other than a college maintained exclusively by the State Government, shall be appointed by the Executive Council or the Management of the affiliated college on the recommendation of a Selection Committee in the manner hereinafter provided. The selection committee shall meet as often as necessary.

(2) The appointment of every such teacher, Director and Principal not being an appointment under sub-section(3), shall in the first instance be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year:

Provided that no order of termination of service during or on the expiry of the period of probation shall be passed-

(a) In the case of a teacher of the University, except by order of the Executive Council made after considering the report the Vice-Chancellor and unless the teacher is himself the Head of the Department the Head of the Department concerned.

(b) In the case of Principal of an affiliated college except by order of the Management; and

(c) In the case of any other teacher of an affiliated college except by order of the Management made after considering the report of the Principal and unless

such teacher is the senior most teacher of the subject, also of the senior most teacher of the subject;

Provided further that no such order of termination shall be passed except after notice to the teacher concerned giving him an opportunity of explanation in respect of the grounds on which his services are proposed to be terminated:

Provided also that if a notice is given before the expiry of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, the period of probation, shall stand extended until the final order of the Executive Council under clause (a) of the first proviso or, as the case may be, until the approval of the Vice-Chancellor under section 37 is communicated to the teacher concerned.

(3) (a) In case of a teacher of the University other than a Professor, the Vice-Chancellor, in consultation with the Dean of the Faculty and the Head of the Department concerned and an expert nominated by the Chancellor in that behalf and in the case of a teacher of an affiliated college, the Management, in consultation with an expert nominated by the Vice-Chancellor in that behalf may make officiating appointment in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the Selection Committee, but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference.

(b) Where before or after the commencement of this Adhinyam, any teacher is appointed after reference to a Selection Committee to a temporary post likely to last for more than six months, and such post is subsequently converted into a permanent post in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period exceeding ten months and such post subsequently becomes permanently vacant or any post of same cadre and grade is newly created or falls vacant in the same department, then unless the Executive Council or the Management, as the case may be, decides to terminate his services after giving an opportunity to show cause, it may appoint such teacher in a substantive capacity to that post without reference to a Selection Committee :

Provided that this clause shall no apply unless the teacher concerned holds the prescribed qualifications for the post at the time of such substantive appointment, and he has served continuously, for a period of not less than one year after his appointment made after reference to a Selection Committee:

Provided further that appointment in a substantive capacity under this clause of a teacher who had served, before such appointment, continuously for a period of less than two years, shall be on a probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year, and the provisions of sub-section (2) shall apply accordingly.

(4) (a) The selection Committee for the appointment of a teacher of the University other than the Director of an Institute or the Principal of a consultant college shall consist of ---

(i) the Vice-Chancellor who shall be the Chairman thereof;

(ii) the head of Department Concerned:

Provided that the Head of Department shall not sit in the Selection Committee, when he is himself a candidate for appointment or when the post concerned is of a higher rank than his substantive post and in that event his office shall be filled by the Professor in the department and if there is no professor by the dean of the faculty:

Provided further that where the Chancellor is satisfied that in the special circumstances of the case a selection committee can not be constituted in accordance with the preceding proviso, he may direct the constitution of the Selection Committee in such manner as he thinks fit.

(iii) in the case of a Professor or Reader, three experts and in any other case, two experts to be nominated by the Chancellor;

(iv) in the case of appointment of teacher of an institute of constituent college, the Director of the institute or the Principal of the constituent college, as the case may be.

(b) The Selection Committee for the appointment of the Director of an Institute or the Principal of a constituent college shall consist of-

- (i) the Vice-Chancellor, who shall be the chairman there of;
- (ii) two experts to be nominated by the Chancellor.

(c) The Selection Committee for the appointment of the Principal of an affiliated college other than a college nominated exclusively by the State Government shall consist of-

- (i) the Head of the Management or a member of the management nominated by him who shall be chairman;
- (ii) one of the Deans of Professors of those faculties which comprise subjects taught in the college, to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (iii) one member of the Management nominated by the Management and;
- (iv) two experts to be nominated by the Vice-Chancellor:

Provided that in the case of appointment of the Principal of an affiliated College, the Dean of Faculty shall not sit in the Selection Committee, if he is himself a teacher of that college:

Provided further that in the case of Colleges established and administered by a minority referred to in clause (i) of Article 30 of the Constitution the experts shall be nominated by the Management from out of panel of five experts by the Management suggested and approved by the Vice-Chancellor:

Provided also that in the case of Colleges referred to in the preceding proviso, the Dean or Professor who shall be the member of the Selection Committee under sub-clause (ii) shall also be nominated by the Management from out a panel of five Deans or Professors suggested by the Management and approval by the Vice-Chancellor, and if the requisite member of such Deans or Professors is not so available, the panel may include the names of Principals of affiliated colleges.

(d) The Selection Committee of other Teachers of a affiliated college, other than a college nominated exclusively by the State Government shall consist of-

- (i) the head of the Management or a member of the Management nominated by him who shall be the chairman;
- (ii) the Principal of the College and another teacher of the college nominated by the Principal;
- (iii) two experts to be nominated by the Vice-Chancellor:

Provided that in the case of a college where there is no Principal or other Teacher available for being a member of the selection Committee under sub-clause (ii) the remaining members referred to in this clause shall constitute such Selection Committee:

Provided further that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of Constitution the experts shall be nominated by the Management from out of a panel of five experts suggested by the Management and approval by the Vice-Chancellor.

(5) (a) A panel of six or more experts in each subject of study shall be drawn up by the Chancellor after consulting the corresponding Faculty in Indian Universities or such academic bodies or research institutions in or out side Uttar Pradesh as the Chancellor may consider necessary. Every expert to be nominated by the Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on such panel.

(b) The Board of each Faculty shall maintain a standing panel of sixteen or more experts in each subject of study, and every expert to be nominate by the Vice-Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on the panel.

(c) A panel referred to in clause (a) or clause (b) shall be revised after every three years.

Explanation I- For the purposes of this sub-section, a branch of subject in which a separate course of study is prescribed for a postgraduate degree or for Part I or Part II thereof shall be deemed to be a separate subject of study.

Explanation II- Where the post of teacher to be selected is common to more than one subject of study, the expert may belong to either of such subjects of study.

(d) The Chancellor or the Vice-Chancellor, as the case may be, may intimate in a specified order, a larger number of names of experts than required under sub-section (4) for serving as his nominees on the Selection Committee. In such case, on any person whose name appears higher in the specified order not being available for a meeting of the Selection Committee, a person whose name appears nearest lower in the specified order shall be requested to serve on the Committee.

(6) No recommendation made by a Selection Committee referred to in sub-section (4) shall be considered to be valid unless one of the experts had agreed to such selection.

(7) Subject to the provisions of sub-section (6), the majority of the total membership of any Selection Committee shall form the quorum of such Committee:

Provided that in the case of a Professor or a Reader the persons present to form the quorum must include at least two experts.

(8) It shall be open to the Selection Committee to recommend one or more but not more than three names for each post.

(9) (a) In the case of appointment of a teacher of the University, if the Executive Council does not agree with the recommendation made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alongwith the reasons of such disagreement, and his decision shall be final:

Provided that if the Executive Council does not make a decision on the recommendations of the Selection Committee within a period of four months from the date of meeting of such Committee, then also the matter shall stand referred to the Chancellor, and his decision shall be final.

(b) Where the failure of the Executive Council to take a decision within the period specified in the proviso to clause (a) is not attributable to any fault of the Executive Council the chancellor may require the Executive Council, to take a decision within such time as the Chancellor may, from time to time, allow and may direct the Vice-Chancellor to call a meeting of the Executive Council for the purpose:

Provided that-

(i) if the Executive Council does not agree with the recommendations made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor along with the reasons of such disagreement and his decision shall be final :

(ii) if the Executive Council does not take a decision within the time allowed by the Chancellor , the Chancellor shall decide the matter and his decision shall be final.

(c) In the case of appointment of a teacher of an affiliated college, if the Management does not agree with recommendation made by Selection Committee, the Management shall refer the matter to the Vice-Chancellor along with the reasons of such disagreement, and his decision shall be final:

Provided that in the case of appointment of a teacher of an affiliated college, established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution, if the Management does not agree with the recommendation made by a Selection Committee, the Management shall have the right to appoint another Selection Committee and the decision of the Committee shall be final.

(10) The disqualification of members of Selection Committee for appointment of teachers of the University and the Principals and other teachers of such affiliated colleges on the ground of interest for participating in the deliberations of such Committees and other matters relating to appointment of such Principals and

teachers shall be prescribed by the Statutes.

(11) No selection for any appointment under this selection shall be made except after advertisement of the vacancy in at least three issue of two newspapers having adequate circulation in Uttar Pradesh.

(12) (a) No teacher recommended by the Selection Committee shall be appointed by the Management of an affiliated college other a college maintained exclusively by the State Government, unless prior approval of the Vice-Chancellor has been obtained.

(b) The Management shall, as soon as possible, after the meeting of the Selection Committee, submit the recommendations of the Committee, along with other relevant documents to the Vice-Chancellor for approval

(c) The Vice-Chancellor, if he is satisfied that the candidate recommended by the Selection Committee does not possess the minimum qualification or experience prescribed, or that the procedure laid down in the Adhinyam for the selection of the teacher has been followed, shall convey to the Management his disapproval:

Provided that if the Vice-Chancellor does not convey his disapproval within a period of one month from the date of receipt of the documents referred to in clause (b) or does not send to the Management any intimation in connection therewith, he shall be deemed to have approved of the proposal.

(13) Notwithstanding anything contained in this section, the Executive Council, with the prior approval of the Chancellor, or the Management with the prior approval of the Vice-Chancellor, may appoint on deputation on the post of a teacher any government servant who possesses the qualifications prescribed for the post.

Personal promotion to Teacher of University

33. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Adhinyam, a Lecturer in the University appointed under Section 32, or a Reader in the University appointed under section 32 or promoted under this section, who has put in such length or service and possesses such qualifications, as may be prescribed, may be given promotion, respectively to the post of Reader or Professor.

(2) Such personal promotion shall be given on the recommendation of the Selection Committee, constituted under clause (a) of sub-section (4) of section 32 in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Nothing contained in this section shall affect the posts of the teachers of the University to be filled by direct appointment in accordance with the provisions of Section 32.

Contract of appointment of teachers of the University

34. (1) Except as otherwise provided by the Statutes, no salaried officer and teacher of the University shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of this Adhinyam, and the Statutes.

(2) The original contract shall be lodged with the Registrar and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(3) In case of an officer or teacher employed before the commencement of this Adhinyam, all contracts in force, immediately before such commencement shall, to the extent of any inconsistency with the provisions of this Adhinyam, or the Statutes, be deemed to have been modified by the said provisions.

Pensions, Provident fund etc.

35. The University and every affiliated college shall constitute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be specified by general or special order by the State Government such pension, insurance or provident fund, as it may deem fit including a fund from which such teachers or their heirs, as the case may be, shall be paid pension or gratuity in the event of their incurring disability, wound or death in connection with the discharge of their duties as Superintendent of a Centre of invigilators as defined in the Uttar Pradesh Universities (Provisions regarding Conduct of Examinations) Act, 1965.

Limits of additional remunerative work permissible to teachers.

36. (1) The conditions regarding payment of remuneration to the teachers of the University or an affiliated college for any duties performed in connection with any examination conducted by an Indian University or any body other than Public Service Commission shall be such as may be prescribed.

(2) No teacher of the University or of an affiliated college shall at any time, hold

more than one remunerative office carrying duties other than teaching or duties connected with any examination.

Explanation :- The words " remunerative office" include the offices of warden or superintendent of a Hall or Hostel, Proctor, Games Superintendent, Librarian and any office in the national Cadet Corps, National Sports Organization, National social service scheme and University Employment Exchange.

37. (1) Every teacher in an affiliated college, other than a college maintained exclusively by the State Government, shall be appointed under a written contract which shall contain such terms and conditions as may be prescribed. The contract shall be lodged with the University and a copy thereof shall be given to the teacher concerned and another copy thereof shall be retained by the college concerned.

Conditions of service of teachers of affiliated colleges other than those maintained by Government or local authority

(2) Every decision of the Management of such college to dismiss or remove a teacher or to reduce him in rank or to punish him in any other manner shall before it is communicated to him, be reported to the Vice-Chancellor and shall not take effect unless it has been approved by the Vice-Chancellor;

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution, the decision of the management dismissing, removing or reducing in rank or punishing in any other manner any teacher shall not require the approval of the Vice-Chancellor, but shall be reported to him and unless he is satisfied that the procedure prescribed in this behalf has been followed, the decision shall not be given effect to.

(3) The provision of sub-section (2) shall also apply to any decision to terminate the services of a teacher, whether by way of punishment or otherwise but shall not apply to any termination of service on the expiry of the period for which the teacher was appointed:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution, the decision of the management terminating the service of any teacher shall not require the approval of the Vice-Chancellor, but shall be reported to him and unless he is satisfied that the procedure prescribed in this behalf has been followed, the decision shall not be given effect to.

(4) Nothing in sub-section (2) shall be deemed to apply to an order of suspension pending inquiry, but any such order may be stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor:

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution, such order may be stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor only if the conditions prescribed for such suspension are not satisfied.

(5) Other conditions of service of teachers of such colleges shall be such as may be prescribed.

Chapter –VIII

STATUTES

38. (1) The first Statutes of the University shall be made by the State Government by notification.

Statutes how made

(2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, power or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Executive Council.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Government may in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teaching or research on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commission or the State or National Education Policy, require

the Executive Council to make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (2) within a specified time and if the Executive Council fails to comply with such requirement the State Government may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section(2).

Statutes

39. Subject to the provisions of this Adhinyam, the Statutes may provide for any matters relating to the University and shall in particular, provide for-

- (a) the appointment, powers and duties of the officers of the University;
- (b) the constitution of pension or provident fund or the establishment of an insurance scheme for the benefit of the officers and other employees of the University;
- (c) the conferment of honorary degrees;
- (d) the withdrawal of degrees and other academic distinctions;
- (e) the conditions under which colleges may be admitted to the privileges of the University and the conditions under which any such privilege may be withdrawn;
- (f) the degrees and other academic distinctions to be awarded by the University, the qualifications for the same and amounts to be taken relating to be granting and obtaining of the same;
- (g) the fees to be charges for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees and other academic distinctions of the University;
- (h) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;
- (i) the conduction of examinations including terms of office and manner of appointment and duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (j) the power to remove officers (excluding Chancellor) and employees of the University, their emoluments and terms and conditions of service;
- (k) all other matters which by this Adhinyam, are to be or may be provided for by the Statutes.

CHAPTER-IX

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

Annual Reports

40. (1) The Annual Reports of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its object.

(2) The annual reports so prepared shall be submitted to the Chancellor on or before such date as may be prescribed.

(3) A copy of annual report, so prepared under sub-section (1), shall also be submitted to the state Government.

Accounts and Audit

41. (1) the annual account or balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall, once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Director, Local Fund accounts, Uttar Pradesh or by such person or persons as the state Government may authorize in this behalf.

(2) A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report thereon shall be submitted to the State Government along with the observations, if any of the Executive Council before the thirteenth September every year.

(3) Any observation made by the State Government on the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the

Executive Council, if any, on such observations shall be submitted to the State Government.

42.(1) Whenever any complaint is received by the State Government regarding loss, waste or misapplication of any money or property of the University or the State Government on its own thinks fit, it may direct for special audit of the University being done by the Director, Local Funds Accounts, Uttar Pradesh or any officer subordinate to him.

Surcharge

(2) On receiving the special audit report, the State Government shall issue a notice to the officer of the University on account of whose negligence or misconduct, the loss, waste or misapplication referred to above, has occurred, calling upon him to explain his action within the time fixed by the State Government in this behalf.

(3) The State Government, after considering the audit report and the reply of the officer referred to above, may take suitable decision in this behalf.

(4) If the State Government is of the opinion that the officer should be held responsible for paying the surcharge determined by the State Government, the same shall be recoverable as arrears of land revenue or in such other manner as may be directed by the State Government.

CHAPTER X

MISCELLANEOUS

43. (1) Except as expressly provided by this Adhinyam, or the Statutes, officers of the University and members of authorities of the University shall so far as may be, be chosen by methods other than election.

Manner of appointment of officers and members of authorities

(2) Where a provision is made in this Adhinyam or the Statutes for any appointment by rotation or according to seniority or other qualifications the manner of rotation and determination of seniority and other qualifications shall be such as may be prescribed by the Statutes.

44. (1) Any casual vacancy among the members, other than *ex-officio* members, of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up, was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Filling of casual vacancies

(2) A person, who is member of any authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on such authority for so long as he continues to be the representative of such body.

45.(1) No act or proceeding, of any authority body or committee of the University shall be invalid merely by reason of :-

Proceeding not to be invalidated by vacancy etc

(a) any vacancy or defect in the constitution thereof; or

(b) some person having taken part in the proceedings who was not entitled to do so; or

(c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as member thereof; or

(d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

46. The Executive Council may by a two-third majority of the members present and voting remove any person from membership of any authority or other body of the University upon the ground that such person has been convicted of an offence which, in the opinion of the Executive Council, is an offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or had behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same grounds withdraw from any person any degree, or certificate conferred or granted by the University.

Removal from membership of the University

47. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, member of any authority or other body of the University or whether any decision of any authority or the officer of the University (including any question as to the validity of a Statute) is in conformity with this Adhinyam, or the

Reference to the Chancellor

Statutes made thereunder the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final:

Provided that no reference under this section shall be made:-

(a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time,

(b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved:

Provided further that the Chancellor may in exceptional circumstances,-

(a) act *suo motu* or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the preceding proviso;

(b) where the matter referred relates to a dispute about the election, and the eligibility of the person so elected is in doubt, pass such orders of stay as he thinks just and expedient.

Bar of suit

48. No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or the University or any officer, authority or body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of this Adhinyam or the Statutes made thereunder.

Mode of proof of University record

49. (1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or a resolution of any authority or committee of the University or other document in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein recorded where the original thereof would if produced have been admissible in evidence.

(2) No officer or servant of the University shall in any proceeding to which the University is not a party, be required to produce any document, register or other record of the University contents of which can be proved under subsection (1) by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters, and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.

50. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty, by a notified order direct that the provisions of this Adhinyam shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Adhinyam.

(3) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before both the houses of the State Legislature and the provisions of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in the respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

(4) No order under sub-section(1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in subsection (1) existed or required to be removed.

Transfer of assets etc.

51. (1) Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhinyam, 1958, the Statutes or the Regulations and orders made thereunder, on and from the appointed date,-

(a) All properties and assets of the Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Kanpur pertaining to the department of Veterinary and Animal Sciences including Uttar Pradesh college of Veterinary Science Mathura hereinafter referred to as the erstwhile University, shall stand transferred to, and vest in the University.

(b) All debts, liabilities and obligations of the erstwhile University whether

contractual or otherwise shall stand transferred to the University.

(c) Services of every whole time teachers, employees and officers of the erstwhile University shall stand transferred to the University on the terms and conditions as they stood immediately before such transfer.

52. All suits, cases, appeals or other legal proceedings instituted by, or against, the erstwhile University, which are pending at the commencement of this Adhiniyam, may be continued, prosecuted or enforced by or against the University, after such commencement. **Legal proceedings**

53. Any reference to the Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kanpur in any other law for the time being in force or in any contract or other instrument shall be construed,- **Construction of contract etc.**

(a) If such reference relates to any asset or property of the Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Kanpur pertaining to the department of Veterinary and animal science including Uttar Pradesh College of Veterinary Science, Mathura as a reference to the University, and

(b) In any other case, as a reference to the Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Kanpur.

54. Any obligation incurred, before the commencement of this Adhiniyam, by the erstwhile University to confer any degree or other academic distinctions on, or to issue any diploma or other certificate, to any person or to grant any copy of any degree, diploma, certificate, marks-sheets or other documents to any person shall, after such commencement, be the obligation of the Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kanpur. **Obligations to be discharged by the Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Kanpur.**

55. If any dispute arises by reason of the transfer of the property pertaining to the department of Veterinary and Animal Sciences including Uttar Pradesh College of Veterinary Science, Mathura from Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kanpur to the University, such dispute shall be resolved in the first instance by the Vice-Chancellor of the said two Universities and in the event of the failure of such Vice-Chancellors to arrive at an agreement with regard to any such dispute, the matter shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final. **Settlement of Disputes**

56. The provision of this Adhiniyam shall have effect, notwithstanding anything to the contrary in the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958. **Overriding Effect**

By order,
Y.R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Owing to the shortage of institutions imparting higher education in the field of Veterinary and Animal Science in the State, it has been decided to establish a University at Mathura by the name of Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan for the advancement and development of education in the field of Aeterinary and Animal Science and to transfer the Uttar Pradesh College of Veterinary Science, Mathura alongwith its assets and properties from Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya, Kanpur to the Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan.

The Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan Vidheyak, 2001 is introduced accordingly.